न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर उपस्थित–गुंजन सिंह, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा। **मूल वाद संख्या–325 वर्ष–2025** कम्प्यूटर फाईलिंग नंबर–UKUS030004602025	
तिलक राम पुत्र स्व० श्री प्रसादी लाल निवासी–गोविंदपुर, नकटपुरा जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)	**वादी**

बनाम

1. परमजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह **2. हरजीत सिह पुत्र महेन्द्र सिंह** निवासी–महमूद वाला, पोस्ट व थाना–मखू तहसील–जीरा, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	**प्रतिवादीगण**
वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री ऋषभ श्रीवास्तव
प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

विवरण	तिथि
वाद संस्थन	14.12.2025
बहस	08.07.2026
निर्णय	18.07.2026

एकपक्षीय निर्णय

वर्तमान मूल वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध मु0–4,40,470/–(चार लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर) रूपये धन वसूली मय ब्याज की डिक्री वादी के पक्ष में पारित किये जाने हेतु योजित किया गया है।

2. संक्षेप में वादी के वादपत्र में कथन इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादीगण

सं0–1 व 2 (जो कि आपस में सगे भाई हैं) के मध्य मित्रवत/पारिवारिक संबंध थे, जिसके चलते प्रतिवादीगण व वादी के मध्य आवश्यकतानुसार पैसों का लेन–देन चलता रहता था। प्रतिवादीगण ने अपनी निजी आवश्यकता पर और वादी के पुत्र को विदेश भेजने के नाम पर आवश्यकतानुसार उधार रूपयों की मांग की थी और प्रतिवादीगण की आवश्यकताओं को समझते हुए वादी द्वारा विभिन्न तिथियों पर प्रतिवादीगण को मु0–5,69,970/–रूपये (पाँच लाख उन्सत्तर हजार रूपये) बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उधार एवं दस्ती के रूप में दिये थे। पैसे उधार लेने के पश्चात में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को आश्वासन दिया गया था, कि 6 माह के भीतर उक्त उधार ली जा रही रकम की अदायगी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कर दी जायेगी। प्रतिवादीगण द्वारा उधार धनराशि लेने के पश्चात तय समय सीमा से अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वादी से उधार ली गयी धनराशि की अदायगी वादी को नहीं की गयी, जिसपर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को फोन कर स्वयं द्वारा उधार दी गयी धनराशि की अदायगी हेतु काफी तगादा किया तो प्रतिवादीगण द्वारा वादी से बार बार समय की माँग की जाती रही परन्तु वादी से उधार ली गई धनराशी की अदायगी नहीं की गई। वादी द्वारा तय समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद भी कई बार फोन कर करकर प्रतिवादीगण से अपनी धनराशि की अदायगी हेतु तगादा किया गया, जिसपर प्रतिवादीगण द्वारा कुछ धनराशि वादी के खाते में बैंक ट्रांसफर से माध्यम से ट्रांसफर भी की गई परन्तु पूर्ण धनराशि का भुगतान आज दिनाक तक प्रतिवादीगण द्वारा वादी को नही किया गया। प्रतिवदीगण द्वारा वादी के खाते में विभिन्न तिथियो पर मु० 1,29,500/–(एक लाख उन्नतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) जरिये बैक ट्रॉसफर भुगतान किये गये, परन्तु बकाया धनराशी मु0 4,40,470/– (चार लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर रूपये) का भुगतान आज दिनाक तक प्रतिवादीगण द्वारा वादी को नही किया गया है, जिस कारण वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम प्रतिवादीगण को एक विधिक नोटिस दिनांक 28.08.2025 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्रतिवादीगण के वास्तविक एवं सही पते पर प्रेषित करवाया गया, जो प्रतिवादीगण द्वारा भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी से सांठ गांठ कर वादी के अधिवक्ता को वापस कर दिया जो वादी के अधिवक्ता को दिनांक–09.09.2025 को प्राप्त हो गयी। जिसकी तामीली रिर्पोट डाक विभाग की अधिकृत वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा विधिक नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उधार ली गयी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही विधिक नोटिस का कोई जवाब भी

दिया गया है। वाद का कारण प्रथम बार प्रतिवादी द्वारा दिनाक 12.08.2025 को उधार ली गई धनराशी में आशिंक भुगतान मु0 24,500/–(चौबीस हजार पाँच सौ रूपये) किये जाने की तिथि से उत्पन्न हुआ, जिसके बाद वादी द्वारा उपरोक्त बकाया धनराशि अदा करने के लिये लगातार प्रतिवादीगण से तगादा करने के बावजूद भी धनराशि अदा न करने के उपरांत वादी द्वारा विधिक मांग नोटिस दिनांक–28.08.2025 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादीगण को उनके वास्तविक एवं सही पते पर प्रेषित करवाया गया, जिसकी तामीली प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर न करते हुए डाक विभाग के कर्मचारी से सांठ गांठ कर उक्त नोटिस दिनांक 09.09.2025 को वादी के अधिवक्ता को वापस कर दिया। जिसके पश्चात नोटिस में वर्णित 15 दिन का समय यानि दिनांक 24.09.2025 के व्यतीत होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी की धनराशि अदा न करने से वाद का कारण उत्पन्न हुआ है और उक्त बकाया धनराशि अदा न करने से वाद का कारण आज दिनाक तक लगातार जारी है। अतः वादी से प्रतिवादीगण द्वारा उधार ली गयी धनराशि की बकाया धनराशि मु0–4,40,470/–(चार लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर रूपये) पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रथम बार धनराशि देने की दिनांक–24.05.2018 से धनराशि की वास्तविक अदायगी की दिनांक तक (जिसमें दौराने मुकदमे का ब्याज भी शामिल होगा) की गणना करते हुये, प्रतिवादीगण से वादी को दिलाये जाने तथा खर्चा मुकदमा व आर्थिक क्षति प्रतिवादीगण से वादी को दिलाए जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–18क/1 लगायत 18क/4 तथा पी0डब्लू0–2 के रूप में इन्द्रराज सिंह का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–19क/1 लगायत 19क/4 प्रस्तुत किये गये हैं।

4. वादी द्वारा सूची 6ग व 20ग/1 से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं–

नोटिस	कागज सं0–7ग/1 लगायत 7ग/2
रसीद	कागज सं0–8ग
ट्रेकिंग रिपोर्ट	कागज सं0–9ग/1 लगायत 9ग/6
बैंक की रसीद	कागज सं0–10ग/1 लगायत 10ग/2

खाते का विवरण	कागज सं0–20ग/2 लगायत 20ग/3

5. प्रतिवादीगण पर्याप्त तामीली के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 25.03.2026 को वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी। इस कारण प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबावदावा तथा मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

6. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ श्रीवास्तव की बहस एकपक्षीय रूप से सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन मेंमौखिक साक्ष्य में स्वयं का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–18क/1 लगायत 18क/4 तथा पी0डब्लू0–2 के रूप में इन्द्रराज सिंह का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0–19क/1 लगायत 19क/4 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें वादपत्र के कथनों का समर्थन किया गया है। वादी द्वारा अपने दावे के कथनों के समर्थन में सूची 6ग व 20ग/1 से दस्तावेजों में खाते का विवरण कागज सं0–20ग/2 लगायत 20ग/3 भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अवलोकन से दर्शित है कि धनराशि मु0–4,40,470/–(चार लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर रूपये) प्रतिवादीगण को वादी द्वारा अदा किये गये हैं, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया गया है, परन्तु वादी द्वारा प्रतिवादीगण को विधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त धनराशि का भुगतान वादी को नहीं किया गया है।

8. वर्तमान वाद एकपक्षीय रूप से अग्रसारित है। ऐसे में वादी द्वारा किये गये कथनों तथा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए वादी द्वारा उसके वादपत्र में किये गये कथन पूर्णतः सिद्ध होते हैं।

9. इस प्रकार उपरोक्त वर्णित विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद एकपक्षीय रूप से सव्यय आज्ञप्त

किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मु0–4,40,470/–(चार लाख चालीस हजार चार सौ सत्तर रूपये) रूपये एवं वाद दायर करने की तिथि से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज सहित वसूली हेतु एकपक्षीय रूप से सव्यय आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे इस निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर आज्ञप्त धनराशि मय ब्याज वादी को अदा करना सुनिश्चित करें। तद्नुसार डिक्री भीतर सप्ताह बनायी जाये।

11. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–18.07.2026

(गुंजन सिंह)
सिविल जज (सी0डि0)
रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।

12. निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–18.07.2026

(गुंजन सिंह)
सिविल जज (सी0डि0)
रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।

साक्ष्य का परिशिष्ट वादी/प्रतिवादी के साक्षियों की सूची (संलग्नक 1)

ए–वादी साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी का प्रकार
पी0डब्लू0–1	तिलक राम	वादी साक्षी
पी0डब्लू0–2	इन्द्रराज सिंह	वादी साक्ष्य

बी–प्रतिवादी

श्रेणी	नाम	साक्षी का प्रकार
निल	निल	निल

साक्षी वादी/प्रतिवादी के प्रदर्शों की सूची (संलग्नक 2)

ए–वादी साक्षी

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या **(सामान्य नियमावली दीवानी, 1957 के नियम 57 के अनुसार)**	विवरण
1	नोटिस	कागज सं0–7ग/1 लगायत 7ग/2
2	रसीद	कागज सं0–8ग
3.	ट्रेकिंग रिपोर्ट	कागज सं0–9ग/1 लगायत 9ग/6
4.	बैंक की रसीद	कागज सं0–10ग/1 लगायत 10ग/2
5.	खाते का विवरण	कागज सं0–20ग/2 लगायत

		20ग / 3

<u>बी–प्रतिवादी</u>

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या **(सामान्य नियमावली दीवानी, 1957 के नियम 57 के अनुसार)**	विवरण
1	निल	निल

दिनांक–18.07.2026

(गुंजन सिंह)
सिविल जज (सी0डि0)
रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।